

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :-67 / 2024

प्रार्थी:-

आर.विक्रमसिंह उर्फ शैतानसिंह पुत्र तेजसिंह जाति राजपूत निवासी सरीयादेवी नगर तहसील सिवाना जिला बालोतरा हाल निवासी राठोडो का वास, मोदरा जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थी:-

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-

श्री गौतमसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

--: आदेश :-

दिनांक :- 18.10.2024

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 550/480 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि ग्राम सरीयादेवी तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काशत करता आ रहा है। प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी में उसका वास्तविक नाम "आर.विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह" दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का नाम "शैतानसिंह पुत्र तेजसिंह" लिख दिया। इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक भू.अ./2024/974 दिनांक 15.07.2024 द्वारा प्रार्थी के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई।

प्रार्थी ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी, गाम पंचायत मोदरा पं.सं. भीनमाल जिला जालोर द्वारा दिनांक 26.02.2024 को जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड की प्रति पेश किये तथा प्रार्थी गवाह शोभा पत्नी तेजसिंह के बयान कलमबद करवाया गया। ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।



उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)



प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम "आर. विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह " है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि ग्राम सरीयादेवी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 550/480 कुल रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी का नाम "शैतानसिंह पुत्र तेजसिंह" त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थी अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के मतदाता परिचय पत्र, बैंक डायरी, गाम पंचायत मोदरा पं.सं. भीनमाल जिला जालोर द्वारा दिनांक 26.02.2024 को जारी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड प्रार्थी गवाह शोभा पत्नी तेजसिंह के बयान से प्रार्थी का नाम "आर. विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह " की तकसीद होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम "शैतानसिंह पुत्र तेजसिंह" दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सरीयादेवी तहसील सिवाना के खसरा संख्या 550/480 रकबा 3.2375 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी का नाम "शैतानसिंह पुत्र तेजसिंह " के स्थान पर "शैतानसिंह उर्फ आर.विक्रमसिंह पुत्र तेजसिंह" दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 18.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)